



2026:AHC:36774-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-3754/2026

वीरेश

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: बाबू लाल राम, रचना सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष के लिए यह रिट याचिका दायर की है:

“(क) प्रतिवादियों को धारा 76, 352, 351(3) बीएनएस, 2023 के अंतर्गत दर्ज अपराध संख्या 514/2025, पुलिस स्टेशन बहजोई, जिला-संभल की जांच पूरी करने का निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए तथा यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को उपरोक्त मामले में प्रतिवादी संख्या 4 की गिरफ्तारी के संबंध में उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने की कृपा करें एवं प्रतिवादी संख्या 4 को उपरोक्त मामले में गिरफ्तार किया जाए।

(ख) प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को धारा 76, 352, 351(3) बीएनएस, 2023 के अंतर्गत दर्ज अपराध संख्या 514/2025 की निष्पक्ष और उचित जांच करने के संबंध में याचिकाकर्ता के दिनांक 03.02.2026 के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने और विचार करने का निर्देश देने हेतु एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। 352, 351(3) बीएनएस, 2023 पुलिस स्टेशन बहजोई, जिला-संभल।

(ग) इस माननीय न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे जाने वाले किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(घ) उपरोक्त नाम के याचिकाकर्ता के पक्ष में रिट याचिका का खर्च प्रदान किया जाए।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता इस मामले में प्रथम सूचनादाता है और यद्यपि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 27.12.2025 को दर्ज की गई है, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से जांच नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए, याचिकाकर्ता संभल के पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपनी शिकायत को उजागर करते हुए निष्पक्ष और तटस्थ जांच की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत कर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सकता है और यदि ऐसा आवेदन संभल के पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो संभल के पुलिस अधीक्षक/प्रतिवादी संख्या 2 इस मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और शीघ्र जांच सुनिश्चित करेंगे।

5. उपरोक्त अवलोकन के साथ, यह याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

18 फरवरी, 2026

केयू

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”